रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-39/2025/710/22-2-2023-17(871)2021

लखनऊ: दिनांक: 24 जनवरी, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जटाशंकर (बन्दी संख्या-431/2019) पुत्र श्री शम्भूनाथ मिश्रा, जो ग्राम-अहिरौली, थाना-नेवढिया, जनपद-जौनपुर का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-340/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-04, जौनपुर के आदेश दिनांक 30.11.2017 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 03.08.2022 तक 03 वर्ष 09 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष 04 माह 20 दिन की सपरिहार भोगी गयी सजा एवं बन्दी की 79 वर्ष से अधिक आयु, बन्दी की वृद्धावस्था, मेडिकल बोर्ड द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति, सन्तोषजनक जेल आचरण तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

विनोद कुमार द्विवेदी

संयुक्त सचिव।

संख्या-39/2025/710(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर।

3- पुलिस अधीक्षक जौनपुर।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी ।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभागए उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभागए उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in